अपील संख्या 25/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

फूलसिंह पुत्र किरोडी जाति जाटव निवासी सैह तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 16.1.2018 प्रकरण संख्या 50/2017 (91 एल आर एक्ट) प0ह0 बाबैन बनाम फूलसिंह

उपस्थित :
1. श्री नौनिहालसिंह डागुर वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

दिनांक – 14.3.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 16.1.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 77/0.65 है0 वाकै ग्राम बौरई किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.06 है0 पर सरसों बो कर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन आदेश से उक्त अतिक्रमित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 3.52 की पचास गुना राशि 176 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात नब्बे दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि खसरा नम्बर 77/0.65 ऐयर में से 0.16 हैक्टेयर पर अपीलान्ट का अतिक्रमण माना है जो कतई गलत है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा तहत अदालत द्वारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तथ्यों पर की गई है एकतरफा में आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट पर नोटिस की तामील ही नहीं हुई है। न ही कभी अपीलान्ट ने पूर्व में कोई अतिक्रमण किया है फिर भी अपीलान्ट को तहत अदालत ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि न तो कोई ऐसा साक्ष्य है न ही ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्ट ने पूर्व में कोई कब्जा किया था और उसके विरूद्ध कार्यवाही कर उसे बेदखल किया गया था। जब बेदखल ही नहीं किया गया तो पश्चातवर्ती अतिक्रमी कैसे माना जा सकता है ? पटवारी ने रंजिशवश अपीलान्ट की बेबुनियाद तथ्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तहत अदालत द्वारा न तो पैमायश की गई न मौका निरीक्षण किया गया न ही अपीलान्ट को जबाब एवं सुनवाई का अवसर दिया गया एकतरफा में अपीलान्ट की वैक पर यह अपीलाधीन आदेश

पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। न तो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की तारीख अंकित की है न ही बेदखली की तारीख अंकित है न ही इस संबध में कोई रिकार्ड तहत पत्रावली में उपलब्ध है। तहत अदालत द्वारा तथ्यों एवं रिकार्ड के विपरीत अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है । पूर्व में भी कभी भी अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया था और ना ही अब किया है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके फिर भी तहत अदालत ने मनमाने ढंग से मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 90 दिवस के कारावास से दण्डित कर दिया है जो अपीलान्ट के साथ अन्याय है। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 15.2.2018 को पटवारी हल्का के द्वारा इसकी जानकारी हुई। दिनांक 15.2.2018 को नकल प्राप्त कर अपील की कार्यवाही की गई है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्टस/अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 77/0.65 है0 वाकै ग्राम बौरई किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.16 है0 पर फसल सरसों बो कर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी पटवारी हल्का बाबैन 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नोटिस की विधिवत तामील भी अपीलान्ट पर हुई है। अपीलान्ट द्वारा न तो जबाब प्रस्तुत किया न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किया गया। गत सम्वत 2073 में भी अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसकी प्रकरण संख्या 7/17 नायब तहसीलदार कुम्हेर में दर्ज तथा निर्णय दिनांक 7.2.2017 को बेदखली कार्यवाही कर हटवाया गया था। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय गै0मु0 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और यह अतिक्रमण उसके द्वारा पुनः किया गया है। अर्थात अपीलान्ट बखूबी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में आता है पटवारी के बयान एवं पटवारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त राजकीय भूमि पर पुनः अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्टस बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों/ मौका रिपोर्ट तथा गत रिकार्ड से वर्तमान एवं गत अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि है । अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.1.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

" Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रिकार्ड अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 77/0.65 वाकै ग्राम बौरई किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.16 है0 पर फसल सरसौ बो कर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पूर्व में गत सम्बत 2073 में अपीलान्ट के खिलाफ प्रकरण संख्या 7/17 दर्ज होना तथा निर्णय दिनांक 7.2.2017 से बेदखल किया जाने के परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की संज्ञा में आना वखूबी प्रमाणित होता है। वे चाहते तो अपने बचाव में यथोचित साक्ष्य एवं सबूत पेश कर सकते थे न तो उनके द्वारा तहत अदालत में अपने बचाव में साक्ष्य सबूत पेश किये और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे अपीलाधीन आदेश को बेबुनियाद या तथ्यों के प्रतिकूल माना जा सके। उनके द्वारा मात्र एक शपथ पत्र पेश किया है जिसमें कभी कोई अतिक्रमण नहीं करने बाबत अंकित किय है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित आज्ञा न्यायोचित रहती है। अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.1.2018 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर